



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-558

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 299361 दिनांक 02/06/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Satyanarayan Sharma S/o JAGDISHNA RAYAN SHARMA	श्री सत्यनारायण शर्मा पुत्र श्री जगदीश नारायण शर्मा	46	139.80 SQ. YARD	Private	ROYAL ENCLAVE Sector/Block-B	Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta)	श्री सत्यनारायण शर्मा पुत्र श्री जगदीश नारायण शर्मा द्वारा निजी खातेदारी योजना रॉयल एनक्लेव बी ब्लॉक के भूखण्ड संख्या 46 क्षेत्रफल 139.80 व.ग. का पट्टा चाहने हेतु आवेदन किया गया है। इस हेतु आवेदक द्वारा रॉयल एनक्लेव बी ब्लॉक के भूखण्ड संख्या 46 क्षेत्रफल 139.80 व.ग. के पजेशन लेटर की छाया प्रति, साईट प्लान की छाया, खातेदार/हितधारी/ विकासकर्ता द्वारा जारी शपथ पत्र/धुएनओसी की प्रति, मूल दस्तावेज (मिसपेलेस) गुम हो जाने की गुमशुदगी रिपोर्ट दिनांक 19.06.2020, श्री



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

								मुकेश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री बाबूराम शर्मा द्वारा हस्ताक्षरित मूल शपथ पत्र, श्री मुकेश चन्द्र शर्मा द्वारा श्री सत्यनारायण शर्मा पुत्र श्री जगदीश नारायण शर्मा को उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.05.2026 के द्वारा किया गया है जिसके पृष्ठ संख्या 4 पर उल्लेख किया गया है कि उक्त सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त मूल दस्तावेज की छाया प्रति प्रथम पक्ष विक्रेता ने उक्त क्रेता द्वितीय पक्ष को सौंप दिये हैं एवं उक्त वर्णित प्लॉट के असल दस्तावेज दिनांक 21.03.2020 को गुम हो जाने के कारण प्रथम पक्ष विक्रेता ने मूल दस्तावेज गुम हो जाने के कारण प्रथम पक्ष विक्रेता ने मूल दस्तावेज गुम होने की रिपोर्ट पुलिस थाना शिवदासपुरा, जयपुर दक्षिण में दिनांक 19.06.2020 को करा दी थी।
--	--	--	--	--	--	--	--	--



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

जिससे की उक्त मूल दस्तावेज को कोई व्यक्ति गलत उपयोग ना कर सकें।
खातेदार/हितधारी/विकासकर्ता द्वारा जारी पत्र, भूखण्ड गुम होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र इत्यादि अपलोड/प्रस्तुत किए गए हैं।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Satyanarayan Sharma S/o JAGDISHNARAYAN SHARMA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमे प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |